न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः– श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 05/2019

मघाराम पुत्र आसुराम जाति जाट निवासी अमृतवासी तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– अपीलान्ट की ओर से – श्री चन्द्रप्रकाश सारस्वत अधिवक्ता
2– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 21.10.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **28.12.2017** से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून, उसूल, प्राकृतिक न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक **28.12.2017** निरस्त फरमाया जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि हल्का पटवारी बिग्गा बास, रामसर की छपे–छपाये रिपोर्ट कि अपीलान्ट ने ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर **25** की तादादी 5.21 हैक्टयर गैर मुमकिन जोहड़ पायतन भूमि में से **50 वर्गमीटर** भूमि पर नाजायज कब्जा कर कमरा मय चार दीवारी बना कर अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को धारा 91 भू. राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया। अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा पैरवी हेतु वकील नियुक्त किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.12.2017 को प्रार्थी व उसके वकील की अनुपस्थिति लगाते हुए एकतरफा निर्णय सुना दिया। अपीलार्थी ने किसी प्रकार से जोहड पायतन की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलार्थी ने जहां अपना मकान बना रखा है, वह मकान श्री लाधुराम पुत्र चुन्नीलाल सेवग निवासी बीदासर हाल अमृतवासी से अपीलार्थी के भाई पूर्णाराम पुत्र आसुराम ने खरीद किया था। जो आपस में भाई बंटवारे में अपीलान्ट के हक में आया है। उक्त मकान का पट्टा तत्कालीन ग्राम पंचायत बिग्गा द्वारा विक्रेता लाधूराम के नाम से दिनांक 25.

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

11.1960 को पट्टा संख्या 170 जरिये मिसल नं. 35 दिनांक 03.02.1959 का जारी शुदा है। अपीलार्थी के मकान के आस–पास सैकडों मकान ग्रामवासियों के बने हुए है, जो 50 साल से भी ज्यादा समय से पूर्व के बने हुए है और सैकडों लोग उनमें निवास करते है। अपीलार्थी को जिस भूमि का अतिक्रमी बताया गया है उस पर अपीलार्थी व उसके पूर्वज पीढ़ियों से निवास कर रहे है जिस पर अपीलार्थी ने काफी पुराना मकान बना रखा है। जिसमें अपीलार्थी के नाम से बिजली का कनेक्शन भी है। इस प्रकार अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे शुदा भूमि पर रिहायश कर रहा है। अपीलार्थी ने जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। जैर अपील निर्णय अपीलार्थी की अनुपस्थिति में किया गया है जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 19.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस से हुई। जिस पर अपीलार्थी बिना समय बर्बाद किये अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को आवश्यक कागजात पेश करने का मौका नहीं दिया व तथ्यों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और एक छपे छपाये परफोरमें में अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया, जो काबिले खारिजी है। अधिवक्ता ने अन्त में यह भी बहस में कथन किया कि उक्त भूमि पट्टे शुदा है। जबकि जोहड़ पायतन बताकर अतिक्रमी घोषित किया गया है। सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया जांच भी नहीं की है। लाधुराम से भूमि क्रय की है पक्का मकान बिजली पानी के कनेक्शन है। कई वर्षो से काबिज है। अतः अपील अन्दर मियाद मियाद शुमार करते हुवे अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जावें एवं तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ आदेश दिनांक 28.12.2017 निरस्त फरमाया जावें ।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का बिग्गा बास रामसरा द्वारा धारा 91 के तहत न्यायालय हाजा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम अमृतवासी के खसरा नम्बर 25 तादादी 5.21 गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि में से 50 वर्ग मीटर **भूमि पर संवत 2074** में कमरा मय चार दीवारी **बनाकर अवैध रूप से** अतिक्रमण किया गया है। जिस पर न्यायालय हाजा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने अतिक्रमियों के विरूद्ध लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। अधीनस्थ न्यायालय ने गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का समय देते हुए दिनांक 28.12.2017 को गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अतिक्रमी का मकान गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर बना हुआ है जो सरकारी भूमि पर है, अतिक्रमी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अपील अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि को हड़पने की साजिश से की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

अति. जिला कलक्टर

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुवे विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाना उचित समझते हुवे धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुवे विलम्ब को क्षम्य् किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेंश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर अवैध रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन जोहड़ पायतन दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ऐसे प्रकरणों में गैर मुमकीन जोहड़ पायतन भूमि पर किये गये अतिक्रमणों को गैर कानूनी करार दिया है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन जोहड़ पायतन पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
अति. बीकानेर कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 11:51:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: